



# मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

## रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

### आवश्यक सूचना

आयोग द्वारा तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्राचार्य वर्ग-1 तथा प्राचार्य वर्ग-2 के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 01/परीक्षा/2009 दिनांक 16.2.2009 जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन में विहित शैक्षणिक अर्हता के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 5038/2009 (एस) में पारित निर्णय के अनुसार पूर्व में जारी विज्ञापन क्रमांक 01/परीक्षा/2009 दिनांक 16.2.2009 निरस्त किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में उक्त पदों की पूर्ति हेतु नये सिरे से यह विज्ञापन जारी किया जा रहा है।

सचिव

विज्ञापन क्रमांक 5/परीक्षा/2010/21.06.2010

### महत्वपूर्ण

1. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे।
2. आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2010 (दोपहर 12.00) से 30.07.2010 (रात्रि 12.00 बजे) तक [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in), [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) तथा [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) पर भरे जा सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.07.2010

**एक -** भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्राचार्य वर्ग-1 तथा प्राचार्य वर्ग-2 के पदों की भर्ती संयुक्त परीक्षा द्वारा किये जाने के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं -

पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या				रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिये आरक्षित पद			
		अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.	अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्राचार्य वर्ग-1	04	02	01	01	-	01	-	-	-
प्राचार्य वर्ग-2	08	04	01	02	01	01	-	01	-

**टीप-** (i) केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक ही आरक्षित पद के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।  
(ii) किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।  
(iii) दोनों पद हेतु एक ही आवेदन पत्र अलौड करें।  
**दो-तीन-** शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकेगा।

### पद का विवरण-

- (अ) पद का नाम : प्राचार्य वर्ग-1  
(ब) विभाग का नाम : तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग  
(स) श्रेणी : राजपत्रित, प्रथम श्रेणी  
(द) पद स्थिति : अस्थायी  
(इ) वेतनमान : रुपये 10000-375-15200/- (संशोधन पूर्व वेतनमान, छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप संशोधित वेतनमान देय होगा) तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(ज) अर्हता 1. **शैक्षणिक** :- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल (बोर्ड) से इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि।

A degree in Engineering from any recognised University or A Diploma in Engineering from any Recognised University or Board.

2. **अनुभव** :- उपाध्यायियों के लिये- किसी भी प्रशिक्षण संस्था अथवा ख्यात कारवार संस्थान में कार्य करने का दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।  
**पत्रोपाध्यायियों के लिये** - किसी भी प्रशिक्षण संस्था अथवा ख्यात कारवार संस्थान में कार्य करने का सात वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।  
**अधिमान** :- अध्यापन का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा।

**For Degree Holders** :- 02 years practical experience of working in any Training Institute or in any reputed business concern.  
**For Diploma Holder** :- 07 years practical experience of working in any Training Institute or in any reputed business concern.  
**Preference** :- Persons possessing teaching experience shall be preferred.

- (अ) पद का नाम : प्राचार्य वर्ग-2  
(ब) विभाग का नाम : तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग  
(स) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी  
(द) पद स्थिति : अस्थायी  
(इ) वेतनमान : रुपये 8000-275-13500/- (संशोधन पूर्व वेतनमान, छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप संशोधित वेतनमान देय होगा) तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(ज) अर्हता 1. **शैक्षणिक** :- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल (बोर्ड) से इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि।

A Degree in Engineering from any recognised University or A Diploma in Engineering from any Recognised University or Board.

2. **अनुभव** :- पत्रोपाध्यायियों के लिये - किसी भी प्रशिक्षण संस्था में अथवा ख्यात कारवार संस्थान में कार्य करने का पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।  
**अधिमान** :- अध्यापन का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा।  
**For Diploma Holder** :- 05 Years practical experience of working in any Training Institute or in any reputed business concern.  
**Preference** :- Persons possessing teaching experience shall be preferred.

**टीप-** 01 आवेदक के पास उपर्युक्त शैक्षणिक अर्हताएँ/अनुभव आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के बाद किसी भी दिनांक को उक्त अर्हताएँ/अनुभव अर्जित करने वाले आवेदक उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे। परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित किए जाने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आवेदक को पद के योग्य मान लिया गया है। **चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अयोग्य पाये जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।**

**चार-** 1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा।  
2. मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

**पाँच-** **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएँ (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत अर्हता** -  
अ. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु (पुरुष हेतु 21 वर्ष तथा महिला हेतु 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।  
ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।  
परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरहित नहीं होगा।

**छ-** **आयु सीमा**- 25 की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 35 वर्ष पूर्ण न की हो। **आयु संगणना तिथि 01.01.2011 होगी।** आयुसीमा में दी गई अन्य छूटों के लिये परिशिष्ट-एक देखें।  
मध्यप्रदेश शासन के स्थायी, अस्थायी वर्कचार्ज्ड या कांटेजिंसी पेड कर्मचारी, परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित समस्त श्रेणी के कर्मचारियों तथा राज्य के निगम, मंडल, मण्डल परिषद्, नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारियों (महिला कर्मचारी भी) के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष निर्धारित है। (सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करें)। ऐसे आवेदकों को परिशिष्ट-1 (एक) में अंकित उक्त छूट के अतिरिक्त अन्य किसी भी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा परंतु परिशिष्ट-1 (दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटों में से अधिकतम लाभ वाले किसी एक छूट का लाभ तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

**सात-** **महत्वपूर्ण-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

**आठ-** **अधिवार्षिकी आयु**- 62 वर्ष  
**नौ-** **परिवेक्षा**- आवेदकों को नियुक्ति 02 वर्ष की परिवेक्षा पर की जायेगी।

**दस-** **चयन प्रक्रिया-**  
चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु अनारक्षित वर्ग के आवेदकों को 40% अंक तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी तथा मध्यप्रदेश हेतु अधियुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा में विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदक ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जायेंगे। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

**ग्यारह-** **चयन विधि** - (1) आवेदक प्राचार्य वर्ग-1 तथा प्राचार्य वर्ग-2 में से किसी एक पद के लिये अथवा दोनों पदों के लिये आवेदन कर सकेंगे। आवेदक इस विज्ञापन में दर्शित अर्हता का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं। तत्पश्चात् ही आवेदन करें।  
(2) ऑनलाइन आवेदन पत्र में पद चयन हेतु तीन विकल्प हैं (A) प्राचार्य वर्ग-1 हेतु (B) प्राचार्य वर्ग-2 हेतु तथा (C) दोनों पदों हेतु। दोनों पदों हेतु वे आवेदक ही आवेदन करें जो दोनों पदों हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं।

(3) आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद मिलने वाली रसीद में उसका आवेदन पत्र क्रमांक अंकित होगा जिसका प्रथम दो अक्षर उसके द्वारा भरे गये पद विकल्प के आधार पर PA, PB तथा PC होगा। आवेदक को रोल नंबर आवंटित करते समय भी उसके रोल नंबर का प्रथम अक्षर उसके द्वारा भरे गये पद विकल्प के आधार पर A, B या C होगा।

(4) लिखित परीक्षा संयुक्त रूप से होगी तथा लिखित परीक्षा के आधार पर A तथा C श्रेणी के आवेदकों की मरैट सूची निर्मित की जायेगी जिसके गुणानुक्रम के आधार पर प्राचार्य वर्ग-1 के पद हेतु विभिन्न श्रेणियों में विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक पाने वाले आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। समान रीति से B तथा C श्रेणी के आवेदकों की मरैट सूची निर्मित कर उन्हें प्राचार्य वर्ग-2 के पद हेतु विभिन्न श्रेणियों में विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक पाने वाले आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

(5) साक्षात्कार के पश्चात् अंतिम मरैट सूची A + C (प्राचार्य वर्ग-1) तथा B + C (प्राचार्य वर्ग-2) के आधार पर बनाई जायेगी। A + C (प्राचार्य वर्ग-1) का चयन परिणाम बनाने के बाद उसमें चयन हेतु सफल उम्मीदवारों के अतिरिक्त C श्रेणी के जो आवेदक होंगे वे प्राचार्य वर्ग-2 के पद हेतु भी विचारित किये जायेंगे।

परीक्षा योजना, परीक्षा तिथियाँ तथा पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी यथासमय "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र में प्रकाशित की जायेगी।

**बारह-** **परीक्षा केन्द्र-** लिखित परीक्षा निम्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी -

परीक्षा केन्द्र कोड	परीक्षा केन्द्र
01	इंदौर
02	भोपाल
03	ग्वालियर
04	जबलपुर
05	रीवा

परीक्षार्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों की संख्या कम की जा सकती है। आवेदक आवेदन पत्र भरते समय परीक्षा केन्द्र सावधानीपूर्वक चयन करें। **एक बार भरा गया परीक्षा केन्द्र बदला नहीं जाएगा।** उम्मीदवार द्वारा भरे गए स्थान के अनुसार परीक्षा केन्द्र देने के सभी प्रयास किए जायेंगे किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक द्वारा भरा गया परीक्षा केन्द्र ही आवेदित किया जाये। आयोग परीक्षा केन्द्र की क्षमता एवं प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केन्द्र आवंटित करेगा। **परीक्षा भवन में मोबाइल फोन, पेनर एवं अन्य संचार यंत्र ले जाना वर्जित है।**

- महत्वपूर्ण :-**
1. आयोग में परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। परीक्षा में प्रवेश देने अथवा साक्षात्कार में आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है **चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।**
- तेरह-** आवेदन प्रक्रिया- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र मात्र इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का अवलोकन करें।
- चौदह-** आवेदन प्रक्रिया- अर्हताधारी आवेदक अपने प्रवेश पत्र [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) अथवा [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) या [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) से डाउनलोड कर सकेंगे, पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्रों की उपलब्धता की सूचना उक्त वेबसाइटों के अतिरिक्त समाचार पत्रों से भी दी जायेगी।
- पन्द्रह-** प्रत्येक उम्मीदवार का केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। किसी उम्मीदवार के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके सभी आवेदन पत्र आयोग द्वारा निरस्त किए जा सकते हैं।
- सोलह-** यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो पता परिवर्तन हेतु लिखित आवेदन पत्र आयोग को तत्काल प्रस्तुत करें। यद्यपि आयोग पता परिवर्तन के अनुसार कार्यवाही करने का पूरा प्रयास करता है, किंतु इस मामले में आयोग कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता है।
- सत्रह-** आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें -
- (i) आयु सीमा की दृष्टि परिशिष्ट-एक
- (ii) आवेदन पत्र भरने तथा अन्य निर्देश एवं जानकारी परिशिष्ट-बो

**परिशिष्ट-1**

- (एक) उच्चतम आयु सीमा में छूट**
- (1) भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के अनुसार समस्त महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी। यह छूट आरक्षित वर्ग की आर्शदिकाओं तथा विधवा, परिस्थिका, तलाकशुदा महिलाओं को उच्च देय 05 वर्ष की छूट के अतिरिक्त होगी।
- (3) विधवा, परिस्थिका, तलाकशुदा महिला आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त विशेष छूट देय होगी।
- दीप :-** ऐसी महिला आवेदक के लिये पात्र नहीं होंगी, जिसकी सब छूटें जोड़कर अधिवार्षिकी आयु हो जाये। (पद की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष है)
- (4) मध्यप्रदेश शासन के स्थायी, अस्थायी वर्क चार्ज या कांटेजेंसी पेड कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी। यह छूट परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य होगी।
- (5) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-14/93/3/1, दिनांक 10.5.1993 अनुसार राज्य के निगम, मंडल, परिषद्, नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष है।
- (6) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नाम कमीशनड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा की गयी सेवा की उतनी कालावधि की अधिकतम छूट 08 वर्ष तक दी जायेगी। किन्तु किसी दशा में उसकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (7) ऐसा अल्पवर्षी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवा का योग हो) कम कराने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप उसकी आयु निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- स्पष्टीकरण- छंटनी किये गये सरकारी सेवक से ताल्लय है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छ: मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।**
- (8) ऐसा अल्पवर्षी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप आयु निकले यह उच्चतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

- (दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट**
- (1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रीनकाईधारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-40/आ/84/3) 1, दिनांक 11 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (2) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत पतियों के स्वर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.6.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जायेगी।
- टीप-** (1) परिशिष्ट-एक (एक) में दर्शायी गई छूटों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक शासन द्वारा बिंदु क्रमांक (एक) के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ ही प्राप्त होगा।
- (2) परिशिष्ट-एक (दो) के अन्तर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अन्तर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी। यह छूट परिशिष्ट एक (एक) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी।
- (3) मध्यप्रदेश शासन के स्थायी, अस्थायी वर्कचार्ज या कांटेजेंसी पेड कर्मचारी, परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित समस्त श्रेणी के कर्मचारियों तथा राज्य के निगम, मंडल, मण्डल परिषद्, नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारियों (महिला कर्मचारी भी) के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष निर्धारित है। (सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करें)। ऐसे आवेदकों को परिशिष्ट-1 (एक) में अंकित उक्त छूट के अतिरिक्त अन्य किसी भी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा परंतु परिशिष्ट-1 (दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटों में से अधिकतम लाभ वाले किसी एक छूट का लाभ तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।
- नोट-** उपरोक्त परिशिष्ट एक (एक) परिशिष्ट एक (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

**परिशिष्ट-2**

- ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी
1. प्राचार्य वर्ग-1 (Principal Grade-1) तथा प्राचार्य वर्ग-2 (Principal Grade-2) के पद के लिये ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं -
- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे-
    - [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in)
    - [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com)
    - [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in)
2. आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोरों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोरों पर ही परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोरों

- की सूची [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in), [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
- आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडोर तथा यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
  - आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने अद्यतन फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) के KIOSK पर स्कैनिंग की सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।
  - ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
  - ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिये गये निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, श्रेणी, उत्तीर्ण करने का वर्ष औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
  - आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ही आवेदन Submit करें।
  - आवेदन पत्र Submit करने के बाद खुलने वाले Pop up Window में आवेदक को उसके आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का भी उल्लेख होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट कर अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।
  - आवेदक यह सुनिश्चित करें कि, उसके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वह परीक्षा हाल की उपस्थिति सूची, साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
- 2. परीक्षा एवं आवेदन शुल्क**
- (अ) मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो मध्यप्रदेश के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं के लिए आवेदन शुल्क रुपये 30/- तथा परीक्षा शुल्क रुपये 120/- कुल रुपये 150/- देय होगा।
- (ब) शेष सभी श्रेणी के एवं मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क रुपये 60/- तथा परीक्षा शुल्क रुपये 250 /- कुल रुपये 310/- देय होंगे।
- उक्त शुल्क के साथ प्रत्येक आवेदक को रुपये 35 पोर्टल शुल्क देय होगा।

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए कुल शुल्क	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए कुल शुल्क
150/- रुपये	310/- रुपये
<b>उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 35/- रुपये अतिरिक्त देय होगा</b>	

- आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोरोंधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एम.पी. ऑनलाइन से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406**
- टीप-** मोबाइल : तनमय तिवारी 93000282449, राजेश गुर्जर 9009841980, अनिल सेठी 9977992395
- आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा :-
- 01 आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त हो जाये अथवा
  - 02 किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये।
- नोट - यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें :-**
- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983**
- एमपी ऑनलाइन लिमिटेड, निरुपम शांति माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026 फोन (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, कॉल सेंटर - 155343 (टोल फ्री)**
- मोबाइल : (तकनीकी समस्या के लिए) तनमय तिवारी 3900282449 एवं राजेश गुर्जर 9009841980**
- आवेदन की अंतिम तिथि**
- ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि **30.07.2010** है। अंतिम तिथि को रात्रि 12.00 के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।
- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार के समय निम्न प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा -**
- आयु संबंधी प्रमाण के लिये-** केवल हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।
- शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र-** हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है। समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियाँ।
- जाति के प्रमाण पत्र-**
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राज्य) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्रावधिक जाति प्रमाण (जो कि आवेदन की अंतिम तिथि को छ: माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संबंध में आवेदक का कोई वचनपत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नतीवकद किया जायेगा एवं आयोग इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम उल्लेखित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित आवेदिकाएँ जाति प्रमाण हेतु पिता के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाणपत्र के साथ ही विवाह के पश्चात् क्रीमिलेयर में न आने के प्रमाणस्वरूप अपने पति के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। (प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न करें)। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमिलेयर में न आने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है अर्थात् जिन प्रमाण पत्रों में क्रीमिलेयर में न आने के प्रमाण संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। विवाहित महिलाएँ विवाहप्राप्त नाम/उपनाम परिवर्तन (पिता/पति) का शपथ पत्र संलग्न करें।
- तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- परिशिष्ट-एक की कंडिका-एक-3** के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये विधवा, परिस्थिका तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।
- परिशिष्ट-एक की कंडिका-एक-5 से 8 तक** के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये नियुक्त अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
- परिशिष्ट-एक की कंडिका-दो-1** के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये प्रीनकाई।
- परिशिष्ट-एक की कंडिका-दो-2** के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।
- परिशिष्ट-एक की कंडिका-दो-3** के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।
- अनुभव प्रमाण पत्र**
- अध्ययन अनुभव के प्रमाण पत्र संस्था प्रमुख द्वारा जारी किये जाने चाहिये। शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत उम्मीदवारों के अनुभव प्रमाण पत्र, प्रतिष्ठान प्रमुख/प्रतिष्ठान में नियुक्ति का अधिकार रखने वाले अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य किये जायेंगे। व्यावहारिक अनुभव प्रमाण-पत्र

का प्रारूप निम्नानुसार होने पर ही उसे मान्य किया जायेगा -

**व्यवहारिक अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....आत्मज/आत्मजा श्री.....आयु.....वर्ष मेरे संस्थान जो कि.....में पंजीकृत है एवं/अथवा से संबद्ध है, में पूर्णकालिक रोजगार में.....पद पर दिनांक.....से दिनांक तक वेतनमान रुपये.....में कार्यरत हैं। वर्तमान में उनका वेतन रु.....प्रतिमाह है।

मेरे संस्थान का पंजीयन क्रमांक.....सेल्ट टैक्स क्रमांक.....तथा इनकम टैक्स क्रमांक.....है। श्री/श्रीमती/कुमारी.....को उनकी नियुक्ति दिनांक से समस्त सेवा अवधि में भुगतान किये गये वेतन तथा भत्ते के अभिलेख संस्था में उपलब्ध हैं। प्रमाण हेतु निम्न अभिलेखों की प्रतियां संलग्न हैं -

- (1) संस्थान/प्रतिष्ठान के पंजीयन संबंधी प्रमाण-पत्र।
- (2) नियुक्ति आदेश की छायाप्रति।
- (3) नियुक्ति पश्चात् आज दिनांक तक भुगतान किये गये वेतन से संबंधित वेतन पर्ची/वेतन भुगतान प्रदर्शित करने वाला अन्य अभिलेख।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

पद नाम : .....

**नोट : संस्थान/प्रतिष्ठान अनुभव प्रमाण पत्र अपने लेटरहेड पर ही जारी करें**

5. जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी हो, अथवा जो लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि, उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियुक्त से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने के संबंध में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
6. **अनुशासनिक निर्देश**  
ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे आयोग से निम्नलिखित के लिये दोषी पाया गया हो -
  01. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्रायत किया हो; या
  02. प्रतिरूपण किया हो; या
  03. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
  04. कूटस्थित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
  05. ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो; या
  06. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
  07. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
  08. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
  09. उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
  10. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार, अपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराने के अलावा -  
(क) आयोग द्वारा उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है, निरह ठहराया जाने का दायी हो

सकेगा और/या

(ख) उसे या तो स्थाई रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए-

(एक) आयोग द्वारा, ली गई किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से;

(दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा; और

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी किन्तु इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि -

(एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(दो) उम्मीदवार द्वारा उसे अनुज्ञापत की गई कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न किया गया हो।

**अनर्हताएँ**

ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

**आवश्यक**

**पहचान चिन्ह:-** उत्तर पुरितका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें यदि उम्मीदवार उत्तर पुरितका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अपना नाम या किसी अन्य का नाम/पते लिखेंगे अथवा अन्य चिन्ह, आकृति, धार्मिक चिन्ह, शब्द अंकित करेंगे तो उसे पहचान चिन्ह बनाना माना जाएगा। समस्त कार्य नीली अथवा काली स्याही से करें। अन्य रंगों का प्रयोग न करने पर उसे पहचान चिन्ह माना जायेगा। ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को नोटिस देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के आवेदक की उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी।

**प्रवेश पत्र**

01. किसी भी उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

02. प्रवेश पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) तथा [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर उपलब्ध होंगे। आवेदकों को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश पत्र प्राप्त करना होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। **एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु 5/- रुपये शुल्क देय होगा।**

03. यदि प्रवेश पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें -

**मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983**

**एमपी ऑनलाइन लिमिटेड, निरुपम शांति माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026 फोन (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, कॉल सेंटर - 155343 (टोल फ्री)**

**मोबाइल : (तकनीकी समस्या के लिए) तनमय तिवारी 3900282449 एवं राजेश गुर्जर 9009841980**

04. यदि किसी आवेदक का नाम नामिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परन्तु उसे आयोग की ओर से प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करें। केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे।

**यात्रा व्यय का भुगतान -**

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे आवेदकों को जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों तथा कहीं सेवारत न हों को शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगे। अतः वे मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित एक प्रतिलिपि घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें तभी उन्हें यात्रा व्यय दिया जायेगा। ऐसे आवेदक अपने वर्तमान पते के निकटतम परीक्षा केन्द्र का ही चयन करें अन्यथा उन्हें यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी।

2. साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले आवेदकों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

आर-1825/2010

सचिव